



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1629 वर्ष 2026

रंजीता

.....याचिकाकर्ता(ओं)
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता

: राम बलि राम
: सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम बाली राम और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय की बात सुनी।
- याचिकाकर्ता का कहना है कि वह एक प्रशिक्षित पीआरडी है और उसने 23.12.2009 से 06.01.2010 तक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने पेपर-बुक के पृष्ठ-29 की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जो दिनांक 17.12.2025 का एक संचार है, ताकि यह तर्क दिया जा सके कि याचिकाकर्ता ने पोर्टल पर दस्तावेजों को जमा करने के संबंध में आवश्यक शर्त को पूरा नहीं किया है।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता ने पहले ही दस्तावेज अपलोड कर दिया है।
- चाहे जो भी हो, तथ्यात्मक पहलू वर्तमान कार्यवाही का विषय नहीं हो सकते।
- तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष प्रस्तुत करे, जिस पर प्रतिवादी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

4 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एनएसआरथौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"